आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो सकताः सुप्रीम कोर्ट

सन्दर्भः हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न पर विचार किया कि क्या आरक्षण का लाभ धर्म के आधार पर प्रदान किया जा सकता है। यह प्रश्न तब सामने आया जब न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस निर्णय के खिलाफ अपील पर सुनवाई की, जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 77 समुदायों (जिनमें अधिकांश मुस्लिम थे) को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के रूप में वर्गीकृत करने के निर्णय को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था।

पृष्ठभूमिः

- 2010 में, पश्चिम बंगाल सरकार ने 77 मुख्यतः मुस्लिम समुदायों को ओबीसी के रूप में वर्गीकृत किया ताकि उन्हें सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का लाभ मिल सके। हालांकि, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 22 मई, 2024 को इस वर्गीकरण को रद्द कर दिया।
- न्यायालय ने फैसला सुनाया कि यह वर्गीकरण केवल धर्म पर आधारित प्रतीत होता है, न कि पिछड़ेपन पर। इसके साथ ही, न्यायालय ने यह भी कहा कि इन समुदायों के पिछड़ेपन को सही ठहराने के लिए आवश्यक सर्वेक्षण और डेटा की कमी थी, जिससे यह आरक्षण संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करता है।

सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँः

- गवई और केवी विश्वनाथन की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि 'आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो सकता।' यह कथन इस बात पर चल रही बहस को रेखांकित करता है कि क्या धर्म को आरक्षण के लिए वैध मानदंड होना चाहिए।
- अदालत ने यह भी स्वीकार किया कि आरक्षण के लिए धर्म का उपयोग करने के बारे में एक बड़ा संवैधानिक प्रश्न संविधान पीठ के समक्ष लंबित है।

भारत में आरक्षण से संबंधित संवैधानिक ढांचाः

- भारत का संविधान सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए, विशेष रूप से वंचित समुदायों के लिए, सकारात्मक कार्रवाई का प्रावधान करता है।
- **अनुच्छेद 15:** धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है।
- **अनुच्छेद 16:** सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर सुनिश्चित करता है, लेकिन पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की अनुमति देता है।
- **अनुच्छेद 46:** यह राज्य को अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी) और अन्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का निर्देश देता है।
- **अनुच्छेद 340:** यह अनुच्छेद कुछ वर्गों और समुदायों के पिछड़ेपन की जांच के लिए एक आयोग के गठन की अनुमति देता है।
- मंडल आयोग की रिपोर्ट (1980) ने पिछड़े वर्गों की पहचान सामाजिक-आर्थिक मानदंडों, खास तौर पर जाति के आधार पर करने की नींव रखी, न कि धर्म के आधार पर। इंदिरा साहनी केस (1992) ने इस बात पर जोर दिया कि आरक्षण पिछड़ेपन के आधार पर होना चाहिए, न कि धर्म के आधार पर।

पक्ष-विपक्ष के तर्कः

- पश्चिम बंगाल सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले कपिल सिब्बल ने इस वर्गीकरण का बचाव करते हुए कहा कि यह धर्म पर नहीं बल्कि पिछड़ेपन पर आधारित है। उन्होंने इन समुदायों के पिछड़ेपन पर मात्रात्मक डेटा का हवाला दिया।
- इसके विपरीत, प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व करने वाले पीएस पटवालिया ने तर्क दिया कि राज्य ने उचित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया है, पिछड़ा वर्ग आयोग को दरकिनार कर दिया है और पिछड़ेपन पर व्यापक सर्वेक्षण करने में विफल रहा है।

अगली सुनवाईः

- सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 7 जनवरी, 2025 को तय की है। न्यायालय के इस फैसले का भारत में आरक्षण को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है, विशेषकर धर्म आधारित कोटा के सवाल के संबंध में।
- यह निर्णय पिछड़े वर्गों की श्रेणी के तहत वर्गीकरण के लिए धर्म को आधार के रूप में उपयोग करने की संवैधानिकता को और स्पष्ट कर सकता है।

एंटीमैटर का ब्रह्मांडीय रहस्य

संदर्भः हाल ही में जारी एक शोधपत्र में ब्रह्मांड में पदार्थ और एंटीमैटर के असंतुलन को समझने के लिए कण भौतिकी के मानक मॉडल में एक नई व्याख्या प्रस्तुत की गई है। शोधपत्र में यह बताया गया है कि मेसोन क्षय, जोकि सीपी समरूपता का उल्लंघन करता है, इस असंतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

मेसान के बारे में:

- क्वार्क-एंटीक्वार्क जोड़ों से बने मेसोन, जब क्षय होते हैं, तो एक नये कण बना सकते हैं, जिसने प्रारंभिक ब्रह्मांड में पदार्थ के निर्माण को प्रभावित किया। समय के साथ, इन कणों का प्रभाव कम हो गया।
- यदि इस सिद्धांत की पुष्टि होती है, तो यह एंटीमैटर के असंतुलन के लिए एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण प्रदान करेगा और मानक मॉडल की व्यापक क्षमता को प्रदर्शित करेगा।

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

एंटीमैटर के बारे में:

- एंटीमैटर की अवधारणा को पॉल डिराक ने 1928 में प्रस्तावित किया था और कार्ल एंडरसन ने 1932 में इसे प्रयोगात्मक रूप से खोजा था। एंटीमैटर में ऐसे एंटीपार्टिकल्स होते हैं जिनका द्रव्यमान पदार्थ कणों के समान होता है, लेकिन उनका चार्ज विपरीत होता है।
  - » उदाहरण के लिए, एंटीइलेक्ट्रॉन (पॉजिट्रॉन) इलेक्ट्रॉन का एंटीपार्टिकल है, जिसका द्रव्यमान समान होता है, लेकिन चार्ज सकारात्मक होता है।

एंटीमैटर का अभाव:

- कॉस्मिक किरणों में और हमारे शरीर में भी एंटीमैटर पाया जाता है (हर 20 सेकंड में एक एंटीइलेक्ट्रॉन का उत्पादन होता है), फिर भी ब्रह्मांड में एंटीमैटर अत्यधिक दुर्लभ है।
- यह महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि एंटीमैटर की तुलना में इतना अधिक पदार्थ क्यों है?
- यदि ब्रह्मांड पदार्थ और एंटीमैटर की समान मात्रा से शुरू हुआ था, तो उन्हें एक-दूसरे को नष्ट कर देना चाहिए था, जिससे केवल ऊर्जा ही बची रहती। फिर भी, पदार्थ ब्रह्मांड पर हावी है।

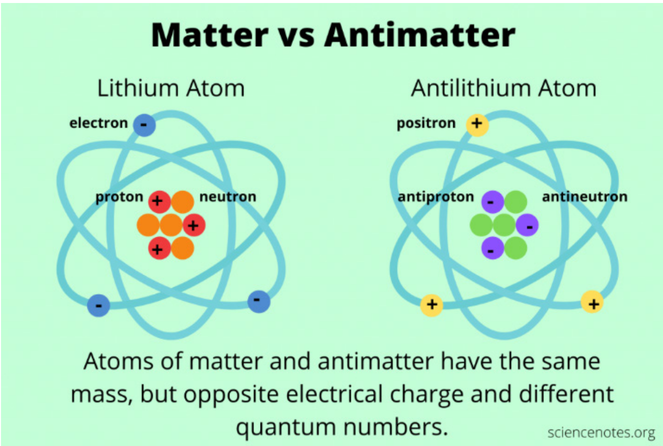

सीपी उल्लंघन के बारे में:

- इसका उत्तर संभवतः सीपी उल्लंघन के रूप में जानी जाने वाली घटना में निहित है - आवेश संयुग्मन (सी) और समता परिवर्तन (पी) की संयुक्त समरूपता का उल्लंघन।
- सीपी उल्लंघन पदार्थ और प्रतिपदार्थ के बीच असंतुलन पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

सखारोव शर्तें:

- आंद्रेई सखारोव ने तीन आवश्यक शर्तें तैयार कीं, जिन्हें पदार्थ-प्रतिपदार्थ विषमता की व्याख्या करने वाले किसी भी सिद्धांत को पूरा करना चाहिए:
  - » **सीपी समरूपता का उल्लंघन:** कण और प्रतिकण अलग-अलग व्यवहार करते हैं या किसी प्रणाली के दर्पण प्रतिबिंब के परिणामस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन होता है।
  - » **बैरियन संख्या का उल्लंघन:** प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे कणों की बैरियन संख्या +1 होती है, जबकि प्रतिकणों की -1 होती है।
  - » **संतुलन से बाहर की स्थितियाँ:** कण प्रक्रियाएँ आगे और पीछे की दिशाओं में अलग-अलग दरों पर होनी चाहिए, जिससे संतुलन को रोका जा सके।
- कण भौतिकी का मानक मॉडल इन शर्तों को पूरी तरह से पूरा नहीं करता है।

भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई)

सन्दर्भ: हाल ही में भारत ने अप्रैल 2000 से सितंबर 2024 तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रवाह में 1 ट्रिलियन डॉलर के आंकड़े को पार कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह उपलब्धि वैश्विक निवेश केंद्र के रूप में भारत के बढ़ते आकर्षण को उजागर करती है और वैश्विक चुनौतियों के बावजूद विदेशी निवेशकों के लिए इसके आकर्षण को दर्शाती है।

एफडीआई प्रवाह में प्रमुख रुझान

- **प्रमुख मार्गों से एफडीआई:**
  - » मॉरीशस और सिंगापुर सबसे बड़े योगदानकर्ता हैं, जिनकी कुल एफडीआई में 49% हिस्सेदारी है। अमेरिका 10% के साथ दूसरे स्थान पर है। नीदरलैंड, जापान, यूके और यूएई जैसे अन्य देश भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
- **एफडीआई का क्षेत्रीय फोकस:**
  - » सेवाएं एफडीआई के लिए सबसे बड़ा क्षेत्र बनी हुई हैं, जोकि दूरसंचार, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और व्यापार जैसे उद्योगों द्वारा संचालित हैं।
  - » पिछले दशक में विनिर्माण क्षेत्र में एफडीआई में 69% की वृद्धि देखी गई है, विशेष रूप से ऑटोमोबाइल, रसायन और फार्मास्यूटिकल्स में।
  - » उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) जैसी सरकारी पहलों ने विनिर्माण को बढ़ावा दिया है और अधिक एफडीआई आकर्षित किया है।

पिछले दशक में वृद्धि:

- भारत में 2014 और 2024 के बीच एफडीआई प्रवाह में 119% की वृद्धि हुई, जोकि 667.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई है।

एफडीआई नीति में सरकार की भूमिका:

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

- भारत सरकार नियमित रूप से एफडीआई नीतियों की समीक्षा करती है और उन्हें समायोजित करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश निवेशक-अनुकूल बना रहे। इसी के अंतर्गत विलय और अधिग्रहण (एम एंड ए) जैसे क्षेत्रों में सुधार का उद्देश्य निवेश के माहौल को बेहतर बनाना है।

चुनौतियाँ और संभावित जोखिम:

- **भू-राजनीतिक जोखिम:** भू-राजनीतिक तनाव और बदलती वैश्विक व्यापार नीतियां एफडीआई प्रवाह को प्रभावित कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, अमेरिका और चीन की आर्थिक नीतियों में बदलाव से निवेशकों के विश्वास में उतार-चढ़ाव हो सकता है।
- **प्रमुख बाजारों में नीतिगत बदलाव:** प्रमुख एफडीआई स्रोत देशों में नीतिगत बदलाव से प्रवाह धीमा हो सकता है। हालांकि, भारत के निरंतर संरचनात्मक सुधारों से ऐसे जोखिमों को कम करने की उम्मीद है।
- **विनियामक वातावरण:** हालांकि भारत ने एफडीआई नीतियों को उदार बनाया है, लेकिन नौकरशाही की देरी और जटिल विनियमन जैसी चुनौतियां अभी भी व्यापार करने में आसानी में बाधा डालती हैं। भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार के लिए और सुधारों की आवश्यकता है।

निरंतर विकास के लिए रणनीतिक उपाय:

- **संरचनात्मक सुधारों को मजबूत करना:** निवेश वातावरण को सरल बनाने और अधिक एफडीआई आकर्षित करने के लिए कराधान, श्रम कानून और विलय एवं अधिग्रहण प्रक्रियाओं जैसे क्षेत्रों में सुधारों को लागू करना जारी रखना चाहिए।
- **बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को बढ़ाना:** बुनियादी ढांचे में केंद्रित निवेश, विशेष रूप से सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से, विदेशी निवेशकों को और अधिक प्रोत्साहित करेगा तथा व्यापार करने में आसानी को बढ़ाएगा।
- **कार्यबल को कुशल बनाना:** कुशल कार्यबल का निर्माण भारत को वैश्विक बाजारों में, विशेष रूप से उच्च तकनीकी और विनिर्माण क्षेत्रों में, प्रतिस्पर्धी बनाए रखने में सहायक होगा।
- **डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देना:** प्रौद्योगिकी और अनुसंधान में निवेश के जरिए डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने से दीर्घकालिक मूल्य सृजन में मदद मिलेगी और भारत को एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने में सहारा मिलेगा।

महत्वपूर्ण शब्दावली:

- **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई):** प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) एक प्रकार का निवेश है, जिसमें एक देश की कंपनी या व्यक्ति दूसरे देश में व्यवसाय संचालन स्थापित करता है या अधि ग्रहण करता है। एफडीआई रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे के विकास और तकनीकी उन्नति को बढ़ावा देता है।
- **स्वचालित और सरकारी स्वीकृति मार्ग:** भारत में, अधिकांश क्षेत्र स्वचालित मार्ग के तहत एफडीआई की अनुमति देते हैं, जहाँ विदेशी निवेशकों को निवेश करने के बाद केवल भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को सूचित करने की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत, दूरसंचार और मीडिया जैसे क्षेत्रों में निवेश से पहले सरकारी स्वीकृति की आवश्यकता होती है।

उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव

सन्दर्भ: हाल ही में राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को पद से हटाने के लिए विपक्षी दलों ने शीतकालीन सत्र में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने की प्रक्रिया प्रारंभ की है। इस संदर्भ में, विपक्षी गठबंधन के 60 सांसदों के हस्ताक्षरित नोटिस को सभापति सचिवालय में प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का कारण:

- यह अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ और विपक्ष के बीच लंबे समय से जारी तनाव के परिणामस्वरूप प्रस्तुत किया गया है। विपक्ष ने धनखड़ पर राज्यसभा में बहस और सत्र संचालन के दौरान निष्पक्षता बनाए रखने में असफल रहने का आरोप लगाया है। प्रमुख विधायी और नीतिगत मुद्दों पर विपक्ष की आवाज को समुचित स्थान न देने के उनके रवैये को भी आलोचना का विषय बनाया गया है।
- विपक्षी दलों ने इसे लोकतांत्रिक परंपराओं और संविधान की गरिमा को बनाए रखने हेतु एक कठिन, लेकिन अनिवार्य कदम बताया है।

भारत के उपराष्ट्रपति को हटाना:

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67(बी) के तहत, भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में पारित प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जा सकता है। इस प्रस्ताव को प्रभावी बहुमत (कुल सदस्यों के बहुमत) के साथ राज्यसभा में पारित किया जाना चाहिए और इसके बाद लोकसभा में साधारण बहुमत से अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।
- प्रस्ताव को सदन में चर्चा के लिए प्रस्तुत करने से कम से कम 14 दिन

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

पूर्व इसकी सूचना दी जानी चाहिए। राष्ट्रपति के विपरीत, उपराष्ट्रपति के लिए महाभियोग प्रक्रिया का प्रावधान नहीं है।

भारत के उपराष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य:

- **राज्य सभा के सभापति के रूप में:** सत्रों की अध्यक्षता करता है, संसदीय प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करता है तथा बराबर मतों की स्थिति में मतदान करता है।
- **कार्यवाहक राष्ट्रपति:** यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो अस्थायी रूप से राष्ट्रपति पद के कर्तव्यों का निर्वहन करता है।
- **संसदीय प्रबंधन:** समितियों की नियुक्ति करना तथा न्यायिक नियुक्तियों से संबंधित प्रस्तावों की देखरेख करना।

महत्व:

- उपराष्ट्रपति राज्यसभा की व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्यसभा में विधायी निर्णयों पर बहस होती है और उन्हें आकार दिया जाता है। कार्यकारी शक्तियाँ न होने के बावजूद, उपराष्ट्रपति का पद संसदीय कार्यों में अत्यंत महत्वपूर्ण है।

संवैधानिक संदर्भ और अनुच्छेद:

- **अनुच्छेद 63 – भारत के उपराष्ट्रपति:** यह अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, जोकि राज्यसभा के सभापति के रूप में भी कार्य करेगा।
- **अनुच्छेद 89 – राज्यसभा का सभापति:** अनुच्छेद 89 के अनुसार, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन सभापति नामित किया गया है।
- सभापति सदन के समग्र आचरण और शिष्टाचार के लिए उत्तरदायी होते हैं तथा कार्यवाही में निष्पक्षता और न्यायसंगतता सुनिश्चित करते हैं।
- **अनुच्छेद 68 – उपराष्ट्रपति का निर्वाचन:** यह अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि यह प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष हो।
- **अनुच्छेद 71- राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद:** यह प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

भारत के बनाम व अमेरिका के उपराष्ट्रपति में तुलना:

- **भारत:**
  - **भूमिका:** उपराष्ट्रपति दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक अधिकारी और राज्य सभा का अध्यक्ष होता है।
  - **राष्ट्रपति का प्रतिस्थापन:** यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो अधिकतम छह महीने के लिए अस्थायी रूप से राष्ट्रपति की भूमिका निभाता है।
  - **चुनाव:** संसद सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित।
  - **राज्य सभा के कार्य:** वाद-विवाद की अध्यक्षता करना तथा बराबरी की स्थिति में मतदान करना।
- **यूएसए:**
  - **भूमिका:** उपराष्ट्रपति कार्यपालिका में दूसरे स्थान पर होता है और सीनेट का अध्यक्ष होता है।
  - **राष्ट्रपति का प्रतिस्थापन:** यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो वह राष्ट्रपति बन जाता है तथा शेष कार्यकाल पूरा करता है।
  - **चुनाव:** राष्ट्रपति के साथ लोकप्रिय वोट द्वारा निर्वाचित।
  - **सीनेट के कार्य:** निर्णायक मत दे सकते हैं, लेकिन दैनिक सीनेट के कामकाज में भाग नहीं लेते हैं।

पॉवर पैक्ड न्यूज

चिली की पूर्व राष्ट्रपति को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार

- हाल ही में घोषित 2024 के इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से वर्जीनिया मिशेल बाचेलेट जेरिया को सम्मानित किया जाएगा। बाचेलेट, जो चिली की पूर्व राष्ट्रपति रही हैं, को यह सम्मान उनके मानवाधिकारों के लिए किए गए वैश्विक प्रयासों के लिए दिया गया है।
- यह घोषणा एक अंतरराष्ट्रीय जूरी ने की, जिसकी अध्यक्षता शिवशंकर मेनन (पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और विदेश मंत्री) ने की।

- बाचेलेट ने अपने करियर में कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं जिसमें यूएन वुमेन की संस्थापक प्रमुख, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त, चिली की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में दो बार सेवा (2006-2010 और 2014-2018) और अपने देश और दुनिया भर में सबसे कमजोर वर्गों के अधिकारों और लैंगिक समानता के लिए जोरदार आवाज उठाई है।
- बाचेलेट का जन्म 29 सितंबर, 1951 को चिली के सैंटियागो प्रांत के ला सिस्तेमा में हुआ था।
- यह पुरस्कार उनके शांति, मानवाधिकार, और विकास के क्षेत्र में अमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है।
- यह पुरस्कार प्रतिवर्ष व्यक्तियों और संगठनों को अंतर्राष्ट्रीय शांति, विकास और एक नए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों के लिए मान्यता देने के लिए दिया जाता है। पुरस्कार में 25 लाख

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

रुपये नकद और एक प्रशस्ति पत्र शामिल है। यह पुरस्कार 1986 में इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा स्थापित किया गया था।

बांग्लादेश ने जीता अंडर-19 एशिया कप

- बांग्लादेश ने भारत को 59 रनों से हराकर अंडर-19 एशिया कप का खिताब जीत लिया। दुबई में हुए फाइनल मैच में बांग्लादेश ने भारत को 36 ओवर में 139 रन पर आउट कर दिया। भारतीय टीम की तरफ से कप्तान मोहम्मद अमन ने सबसे ज्यादा 26 रन बनाए, जबकि हार्दिक राज ने 24 रन जोड़े।
- अंडर-19 एशिया कप, एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) द्वारा आयोजित टूर्नामेंट है, जिसमें एशिया की युवा क्रिकेट टीमें खेलती हैं।
- यह टूर्नामेंट पहली बार 1989 में बांग्लादेश में हुआ था। 2007 में इसका नाम बदलकर एसीसी अंडर-19 एलीट कप कर दिया गया था।

भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर

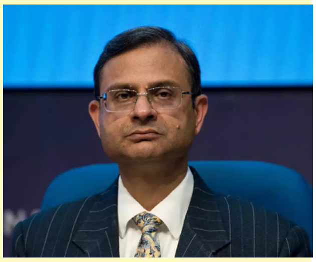

- राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के 26वे गवर्नर के रूप में पद भार ग्रहण किया है। उनका कार्यकाल तीन साल का होगा। वह शक्तिकांत दास का स्थान लेंगे, जिन्होंने आरबीआई गवर्नर के रूप में छह साल का कार्यकाल पूरा कर लिया।
- संजय मल्होत्रा ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों सहित कर नीतियों को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने वित्त, कराधान, बिजली, सूचना प्रौद्योगिकी और खान जैसे क्षेत्रों में विभिन्न प्रमुख पदों पर काम किया है।
- शक्तिकांत दास का कार्यकाल 10 दिसंबर 2024 को समाप्त हो गया। उन्होंने 12 दिसंबर, 2018 को आरबीआई के 25वें गवर्नर के रूप में पदभार ग्रहण किया और उनका कार्यकाल 2021 में बढ़ा दिया गया था।

कलैगनार हस्तशिल्प योजना

- तमिलनाडु सरकार ने कारीगरों और शिल्पकारों को सहयोग देने के लिए कलैगनार हस्तशिल्प योजना शुरू की।
- इस योजना के तहत कारीगरों को 3 लाख रुपये तक का क्रेडिट समर्थन मिलेगा। कर्ज पर 25% सब्सिडी (अधिकतम 50,000 रुपये) प्रदान की जाएगी। लाभार्थियों को 5% ब्याज अनुदान का लाभ मिलेगा। आवेदन करने के लिए लाभार्थी की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए।
- यह योजना 25 प्रकार के व्यवसायों/शिल्पों में लगे सभी वर्गों के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई है।
- योजना का उद्देश्य मौजूदा व्यवसायों का विस्तार करना और कौशल एवं उद्यम विकास को बढ़ावा देना है।
- 2023 में केंद्र सरकार ने पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की थी, जो 18 व्यवसायों के कारीगरों को व्यापक समर्थन प्रदान करती है।

Face to Face Centres

DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029

dhyeyaias.com